03.06.26

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित।

अपीलांट के अधिवक्ता व रेस्पोडेटगण के अधिवक्ता मय उभयपक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि दोनो पक्षों के मध्य राजीनामा होने से लोक अदालत की भावना से प्रकरण को निस्तारण करते हुए तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 15.03.2013 को निरस्त कर वास्तविक मौका कब्जा के अनुसार पुनः सिरे से बंटवाड़ा करने निवेदन किया गया। उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु उभय पक्षकारान सहमत है।

अधिवक्तागण उभय पक्षकारान ने दौराने बहस कथन किया कि मौजा उदोणियों की ढाणी, तहसील गुडामालानी के मुल खसरा 1333 के विभाजित खसरा संख्या 1333/1, 1333/2, 1562/1333, 1564/1333, 1560/1333 कुल रकबा 46.18 बीघा भूमि अवस्थित है। उक्त खसरान भूमि समस्त पक्षकरान के संयुक्त खातेदारी व पैतृक है। उक्त खसरा का बंटवाड़ा तहसीलदार गुडामालानी द्वारा 15.03.2013 को विभाजन आदेश पारित किया गया। उक्त विभाजन आदेश उपरांत वर्तमान मौका कब्जा काश्त व राजस्व रेकर्ड में भिन्नता है तथा पक्षकरान की रहवासीय ढाणी वगैरा एक दुसरे के हिस्से में आ रहे है। इस हेतु समस्त पक्षकारान उक्त आलोच्य विभाजन को निरस्त कर मौका कास्त के अनुसार पुनः नये सिरे से बंटवाड़ा करवाने हेतु सहमत है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। मौजा उदोणियों की ढाणी, तहसील गुडामालानी के मुल खसरा 1333 कुल रकबा 46.18 बीघा भूमि के विभाजित खसरा संख्या 1333/1, 1333/2, 1562/1333, 1564/1333, 1560/1333 कुल रकबा 46.18 बीघा भूमि अवस्थित है। उक्त खसरान भूमि समस्त पक्षकरान के संयुक्त खातेदारी व पैतृक है। उक्त खसरा का बंटवाड़ा तहसीलदार गुडामालानी द्वारा 15.03.2013 को विभाजन आदेश पारित किया गया। चूंकि पक्षकारान की मुख्य आपत्ति है कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध में समस्त पक्षकारान के सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति अनुसार पुनः बंटवाड़े हेतु रजामंद है। उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से लोक अदालत की भावना से प्रकरण को निस्तारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार गुडामालानी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 15.03.2013 को अपास्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण तहसीलदार गुडामालानी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए एव पक्षकारों को सुनकर पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल उपरांत नंबर से कम हो।

जिला कलक्ट
बालोतरा